



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270114
CG-DL-E-13022026-270114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 735]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 773(अ).—पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 07 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं.का.आ.141 (असा.) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्वारा लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, पत्तनों पर नौचालन सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) के दिनांक 14.03.2022 के प्रमाण-पत्र सं.एनएसपीसी/047/2022 में अनुमत प्रचालनों के अनुसार, गुजरात में हाजिरा पत्तन, {मैसर्स अडानी हाजिरा पत्तन लिमिटेड} हेतु समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात के लिए अधिसूचना को दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2028 तक की अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा.सं. ओ-25021/4/2024-एसएम (369160)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 773(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways S.O. 141 (E) dated 7th January, 2025, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Hazira Port in Gujarat {M/s Adani Hazira Port Limited} for importing petroleum into India by sea in accordance with operations permitted in Navigational Safety at Ports Committee (NSPC) certificate number NSPC/047/2022 dated 14.03.2022 for the period from 01.01.2026 to 31.12.2028.

[F.No. O-25021/4/2024-SM (369160)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.